



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:-

739

/ 13- सैम मन्दिर

दिनांक 24/8 /2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी० (प्रस्ताव संख्या 15502/2015)

संदर्भ :- नोडल अधिकारी का ई०डी०एस० दिनांक 17.02.2019 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा का पत्रांक 1533/7 सी० दिनांक 26.08.2020

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव संख्या 15502/2015 में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार कर लिया गया है-

S. N.	EDS	REPLY
1	FRA certificate issued by DC "not applicable" has been mentioned against bullet-1 and bullet-2 in the FRA certificate submitted in FRRM-1 which is not correct and revise certificate is required to submitted and uploaded.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ०आर०ए० पार्ट I सैक्शन में अपलोड कर लिया गया है।
2	Aerial distance certificate (Please mention Nearest National Park/Wild life sanctuary name as well as distance) has not been uploaded as additional information in para-13 in form A, Part II.	Aerial distance certificate additional information के para-13 in form A, Part II. में अपलोड कर दी गई है।
3	CA scheme, CA suitability certificate, Bar chart and district profile detail has not been uploaded as additional information in Form A, part II.	CA scheme, CA suitability certificate, Bar chart and district profile detail additional information के form A, Part II में अपलोड कर दी गई है।
4	Tree mentioned is 197 in tree list uploaded as additional information at Para 13, However 38 tree mentioned at 4-(ii) in form A part II. Please rectify it.	उक्त प्रस्ताव के प्रस्तावित समरेखण में कुल 197 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिसमें वन पंचायत में 38 वृक्ष तथा नाप भूमि में 159 वृक्ष प्रभावित होते हैं। ऑन लाईन पार्ट 2 में वन पंचायत में प्रभावित होने वाले 38 वृक्षों को अपलोड किया गया है तथा नाप भूमि के 159 वृक्षों को ऑन लाईन टिप्पणी में अंकित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किये गये पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक :- /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail:eepdaimora@rediff.com

अभिलेख

पत्रांक 533 / 7 ए.

दिनांक 28 जुलाई 2019

सेवा में,

✓ प्रभागीय बनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जगेश्वर के अंतर्गत पूनाभद्र-नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० (प्रस्ताव संख्या 15502/2015)।

सन्दर्भ: ई०डी०एस० 17.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तिका निराकरण सम्बन्धी प्रतिक्रिया किया जा रहा है।

Objection	निराकरण
1-FRA certificate issued by DC "not applicable" has been mentioned against bullet-1 and bullet-2 in the FRA certificate submitted in FORM-1 which is not correct and revised certificate is required to submitted and uploaded.	एफ०आर०एफ० बट्टे के संशोधन में अपलोड कर लिया गया है।
2-Aerial distance certificate (Please mention Nearest National Park/Wild life Sanctuary name as well as distance) has not been uploaded as additional information in Para 13 in Form A, part II.	यह डेन्ट्र लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
3-CA scheme, CA suitability certificate, Bar chart and district profile detail has not been uploaded as additional information in Form A, part II.	यह डेन्ट्र लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
3-Tree mentioned is 197 in tree list uploaded as additional information at Para 13, However 38 tree mentioned at 4-(ii) in Form A part II. Please rectify it.	यह डेन्ट्र लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अनन्तर कार्यवाही करने कृपा करें।

स्वीकृत
अधि-सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

पत्रांक / तद्विभागत
प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता (तृतीय) प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सूचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधि-सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा